राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/114/2018- APCR व अन्य फाईल

सुनवाई तिथि 01.07.2019 का कार्यवृत्त

सुनवाई के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थे :-

लखनऊ मण्डल :

श्री अनिल गर्ग, आयुक्त, लखनऊ, श्री एस.के. भगत, आईजी लखनऊ रेंज, श्री आर.पी. शाही, सीओ, रायबरेली, मो. तौफीक खान, डीसीआरबी रायबरेली।

अलीगढ़ मण्डल :

श्री अजय दीप सिंह, आयुक्त अलीगढ़ डिविजन, डॉ. प्रितेन्द्र सिंह, डीआईजी, अलीगढ़, श्री संदीप कुमार सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण, अलीगढ़, श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, सीओ, अलीगढ़, श्री हाकिम सिंह, प्र.वि.जा. प्रकोष्ठ खीरी, श्री नंदकिशोर, इंस्पेक्टर, सुनवाई में उपस्थित थे।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आयुक्त अलीगढ़ व डीआईजी अलीगढ़ व आईजी लखनऊ अपने-अपने कार्यक्षेत्र संबंधी प्रकरणों में एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

लखनऊ मण्डल :

1.	14/1(2)/2019-आरयू रायबरेली	प्रकरण 14 वर्ष की कुमारी तनिशा के सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। प्रकरण में आईजी ने सूचित किया कि FIR संख्या 50/19 दिनांक 24.01.2019 को दायर की गई व उसमें धारा 376(d), 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट लगाई गई है। पीड़िता की धारा 164 में बयान दर्ज किया गया व 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरूद्ध चार्जशीट दिनांक 28.06.2019 को न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है। आयुक्त ने सूचित किया कि ₹4.125 लाख सहायता धनराशि दे दी गई है। **अपेक्षित कार्यवाही :** 1. **आईजी (पुलिस) -** फरार आरोपी का शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। 2. **आयुक्त (प्रशासन) -** अवशेष सहायता धनराशि ₹4.125 लाख व अतिरिक्त सहायता : बालिका की पढाई, घर, आदि स्वीकृत की जाये।
2.	3/874/2018-आरयू रायबरेली	प्रकरण में 16 साल की नाबालिग बालिका का दिनांक 17.08.2018 को बलात्कार हुआ था। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार FIR दिनांक 04.09.2018 को दायर की गई जिसमें धारा 376/506 IPC के ¾ पॉक्सो व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत किया गया है।

		रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26.10.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा पीड़िता को ₹3,75,000 की आर्थिक सहायता दिनांक 25.02.2019 को दे दी गई है। अपेक्षित कार्यवाही : 1. **आयुक्त** (प्रशासन): नियमानुसार अतिरिक्त सहायता पीड़िता को उपलब्ध कराने की कार्यवाही संपादित करेंगे। 2. **आईजी (पुलिस)** : पाया गया कि प्रकरण में FIR दायर करने में कई दिन की विलंब है जबकि पीड़िता के पिता ने दिनाक 22.08.2018, 23.08.2018 व 28.08.2018 को कई बार FIR दायर करने के लिए हर स्तर पर प्रार्थना-पत्र दिया। अत: आईजी उपरोक्त विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।
3.	3/08/2019-Gen रायबरेली	प्रकरण में FIR 223/19 दायर की जा चुकी है। अंतिम रिपोर्ट 16.05.2019 को दायर की जा चुकी है। ₹**1** लाख की आर्थिक सहायता दे दी गई है। प्रकरण बंद किया जाता है।
अलीगढ़ मण्डल :		
4.	UP/114/2018-APCR अलीगढ़	प्रकरण में पुलिस के अनुसार अंतिम रिपोर्ट 28/18 दिनांक 09.03.2018 को न्यायालय में प्रेषित की गई। विस्तार से चर्चा से पता चला कि दिनांक 25.08.2017 को पीड़िता सुतरी देवी (20) को वर्ष को अगवा करके ले जाने का प्रकरण था व दिनांक 05.10.2017 को उसको अलीगढ़ से गुरूग्राम में छोड़ दिया गया था। पीड़िता ने 11 लोगों के विरूद्ध उसको अगवा करने का व गैंग रेप का आरोप लगाया है। दिनांक 14.12.2017 को पीड़िता की धारा 164 के बयान में भी उसने अगवा किए जाने तथा बलात्कार किए जाने का बयान दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता आज भी गाँव में मौजूद नहीं है व उसकी किसी को अता-पता नहीं है। प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दायर करने का पुलिस के अनुसार कथित कारण पीड़ता के चाचा व आरोपी के बीच पूर्व विवाद था, किन्तु सीओ व उपस्थित अधिकारी ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि पीड़िता की धारा 164 के बयान का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया व मेडिकल की क्या रिपोर्ट थी। पीड़िता की माँ व अन्य परिवारजनों का क्या बयान था तथा पीड़िता आज कैसी तथा कहाँ है। अपेक्षित कार्यवाही :- **आईजी (पुलिस)** : पूरे प्रकरण की पुन: विवेचना करवाएँगे तथा तत्कालीन विवेचना अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5.	UP/533/2018-APCR अलीगढ़	प्रकरण श्रीमती सर्वेश देवी की हत्या का है। FIR संख्या 589/18 दिनांक 01.09.2018 को दायर की गई व चार्जशीट दिनांक 25.10.2018 को न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है। **अपेक्षित कार्यवाही :** 1. **आयुक्त (प्रशासन)** अलीगढ़ सुनिश्चित करेंगे कि मृतक श्रीमती सर्वेश देवी के परिवार को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता ₹ 8.25 लाख तथा अतिरिक्त सहायता पेंशन, बच्चों की पढ़ाई, घर/जमीन, आयुष्मान

		भारत की सूची में शामिल करना, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन (यदि नहीं हो) 1 महीने में स्वीकृत की जाये।
6.	14/1(1)/2018-आर.यू. हाथरस	अमित की हत्या दिनांक 12.02.2018 को हत्या की गई थी उसकी FIR दिनांक 13.02.2018 को दायर की गई। प्रकरण में 2 नामजद की गिरफ्तारी की गई हैं व चार्जशीट संख्या 236/2018 दिनांक 16.05.2018 को न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है। आयुक्त ने सूचित किया कि आर्थिक सहायता ₹8.25 लाख अमित के परिजनों को स्वीकृत किए जाएँगे। **अपेक्षित कार्यवाही :** 1. **आयुक्त (प्रशासन):** पेंशन, नौकरी, घर, आयुष्मान भारत योजना की सूची में शामिल करना, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन (यदि नहीं है) स्वीकृत करने की कार्यवाही एक महीने में पूर्ण की जाए।
7.	14/1(1)/2018-आर.यू. हाथरस	अंजली नाम महिला की हत्या दिनांक 12.12.2018 को की गई। प्रकरण में दिनांक 12.12.2018 को ही FIR दर्ज की गई जिसमें धारा 302 व 3(2)v लगाई गई थी। पोस्टमॉर्टम भी उसी दिन कर दिया गया व चार्जशीट दिनांक 16.10.2018 को दायर की जा चुकी है। आरोपी गिरफ्तार है। मृतिका अंजली के दोनों बच्चों को बराबर ₹4.125 लाख प्रत्येक आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। बच्चे अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन) :** अतिरिक्त सहायता जैसे कि बच्चों के लिए पेंशन, पढ़ाई का और पक्का घर, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन (यदि न हो), आयुष्मान भारत की सूची में शामिल करना, स्वीकृत कर एक महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>
<u>फाईल नं. 14/1(2)/2019 RU व अन्य फाईल</u>
<u>सुनवाई तिथि 03.07.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री अनिल कुमार, आयुक्त आगरा, श्री बी. राम, एडीएम मैनपुरी, श्री राजेश कुमार सोनकर, पुलिस अधीक्षक क्राइम, आगरा, श्री प्रयांक जैन, डीएसपी, भोगॉव सुनवाई में उपस्थित थे।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आयुक्त, आगरा तथा आईजी, आगरा एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

1.	14/1(2)/2019-आरयू, मैनपुरी	प्रकरण में 14 वर्ष की नाबालिग बालिका कुमारी लक्ष्मी के साथ दिनांक 30.05.2019 को बलात्कार की घटना हुई थी। प्रकरण में FIR संख्या 100/19 दिनांक 30.05.2019 को दायर की गई। पीड़िता का मेडिकल दिनांक 30.05.2019 को की गई व आरोपी सुखवीर को दिनांक 01.06.2019 को गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट संख्या ए86/19 दिनांक 28.06.2019 को दायर की जा चुकी है। आयुक्त ने सूचित किया कि 2,50,000 की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन)** द्वारा शेष 1.25 लाख की आर्थिक सहायता तथा अतिरिक्त सहायता जैसे कि पीड़िता की पढ़ाई, घर, पेंशन, उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस (यदि न हो), आयुष्मान भारत की सूची में शामिल करना इत्यादि की कार्यवाही को पूर्ण करवाकर सूचित करेंगे।
2.	UP/113/2018-APCR मैनपुरी	40 वर्षीय सरला देवी की 20.08.2016 में गोली मारकर हत्या की गई थी व FIR संख्या 331/2016 भी उसी दिन दायर की गई। 5 में से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तथा चार्जशीट संख्या 20 दिनांक 05.10.2016 को दायर की गई है। प्रकरण में लगभग 3 वर्ष होने को आ रहा है, किन्तु अभी तक कोर्ट में केस की स्थिति की जानकारी किसी को नहीं है। उचित होगा कि ऐसे सभी प्रकरण में कोर्ट में केस की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर ली जाए तथा Special Public Prosecutor को सूचित किए जाए कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व नियम के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही 3 महीने में पूर्ण करना सुनिश्चित है। अत: वे सभी प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा में केस संपन्न करवाएँगे। तदनुसार आयुक्त व एडीजी कार्यवाही करेंगे और 8,25,000 की आर्थिक सहायता परिवार को दे दी गई है, किन्तु अतिरिक्त सहायता जैसे कि पेंशन, घर, बच्चों की पढ़ाई, उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन (यदि न हो), आयुष्मान भारत में नाम इत्यादि की सूचना नहीं है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन),** आगरा उसकी समीक्षा कर उचित कार्यवाही करवाकर रिपोर्ट

		देगें।
3.	UP/144/2018-APCR मैनपुरी	प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लिया जा चुका है। प्रार्थिनी के परिवार को माननीय मुख्यमंत्री राहत धनराशि से सहायता दिलवाया जाएँ। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन),** आगरा तदनुसार कार्यवाही सुनश्चित करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4.	UP/18/2019-APCR मैनपुरी श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री रामवीर सिंह	पुलिस के अनुसार धारा 161 व धारा 164 में पीड़िता के बयान में विरोधाभाष पाया गया तथा पीड़िता द्वारा चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराएँ जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट संख्या 05/2018 दिनांक 17.08.2018 को पेषित कर दी गई है। प्रकरण बंद किया जाता है।
5.	UP/201/2019-APCR मैनपुरी श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री हेमराज	दिनांक 12.08.2018 को प्रार्थिनी ममता ने 3 लोगों के विरूद्ध धारा 156(3) के तहत FIR 585/2018 दायर की। प्रार्थिनी का मेडिकल दिनांक 18.12.2018 को ही करवाया गया व धारा 164 के बयान भी दिलवाए गए। पाया गया कि प्रार्थिनी के पति के विरूद्ध एक मुकदमा चल रहा है तथा विपक्षियों के ऊपर दबाव डालने हेतु कदाचित ये आवेदन दिया गया। अंतिम रिपोर्ट दिनांक 04.02.2019 को दायर है। पुलिस की रिपोर्ट के पश्चात् प्रकरण बंद किया जाता है।
6.	UP/401/2019-APCR	आवेदक हरदयाल के पुत्र रनवीर को दिनांक 23.10.2018 को अस्पताल में भर्ती कराया गया व उसकी दिनांक 24.10.2018 को poisoning के कारण मृत्यु हो गई। उसका विसरा reserved है। पाया गया कि प्रकरण में अभी तक FIR दर्ज नहीं है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **एडीजी (पुलिस)**, **मैनुपरी** द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :- 1. FIR तत्काल दर्ज की जाए। 2. 8 महीने के पश्चात् विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अत: एडीजी (पुलिस), आगरा उस पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करवाकर विवेचना एक महीने में पूर्ण करवाएँगे।
7.	UP/284/2019-APCR	आवेदक के भतीजे अर्जुन की मृत्यु दिनांक 25.02.2019 को हुई। पुलिस के अनुसार प्रकरण में अर्जुन रेलवे लाईन के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तथा उसको रिंकू द्वारा देखा गया व गाँव वालों की मदद से उसको बगल के किसी झोपड़ी में ले जाया गया व उसके परिवारजनों को बुला दिया गया। धारा 156(3) के अंतर्गत FIR संख्या 245/2019 दिनांक 28.06.2019 को दायर की गई व ₹4.125 लाख की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेज दिया गया है। **अपेक्षित कार्यवाही :** 1. **आयुक्त (प्रशासन),** आगरा आर्थिक सहायता शीघ्र करवाने का कार्य करेंगे। 2. **एडीजी** (पुलिस), **आगरा** द्वारा 2 महीने के अंदर जाँच पूर्ण करवाएँ

		जाएँगे।
8.	14/1(2)/2019 नेहा	दिनांक 31.12.2018 को 13 वर्षीय नेहा के साथ बलात्कार किया गया व 3 लोगों के विरूद्ध FIR संख्या 1226/2018 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई उसमें से 2 आमिर व गुलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरा फरार है व उसके गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल व 164 का बयान दर्ज किया जा चुका है। पीड़िता को ₹8.25 लाख आर्थिक सहायता तथा नियमानुसार अतिरिक्त सहायता देय है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन),** आगरा उपरोक्त पर कार्यवाही करवाकर सूचित करेंगे।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>
<u>फाईल नं. 14/1(2)/2018-RU व अन्य फाईल</u>
<u>सुनवाई तिथि 28.06.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री दीपक अग्रवाल, आयुक्त वाराणसी, श्री विजय सिंह मीणा, आईजी वाराणसी जोन, श्री सुखराम भारती, पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल वाराणसी, श्री संजय राय, पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर, श्री अरविन्द कुमार, एसओ, बक्सा जौनपुर सुनवाई में उपस्थित थे।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आयुक्त, वाराणसी तथा आईजी, वाराणसी एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

I.	14/1(2)/2018-आरयू कुमारी वंदना	प्रकरण व पत्रों की प्रति एडीजी को दे दी गई। वे तलाश कर व कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे। आयुक्त नियमानुसार आर्थिक सहायता/अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवाकर रिपोर्ट देंगे।
II.	14/1(2)/2018-आरयू श्री प्रेम चंद	प्रकरण में आरोप-पत्र A/14 दिनांक 08.02.2018 धारा 376D, IPC, 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दोनों आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। आयुक्त ने सूचित किया कि आर्थिक सहायता □3.75 लाख दी जा चुकी है। शेष □2.48 लाख व अतिरिक्त सहायता पेंशन, पढ़ाई, घर आदि भी स्वीकृत कर सूचित करेंगे।
III.	14/1(2)/2018-आरयू श्रीमती कुंता	प्रकरण व पत्रों की प्रति एडीजी को दे दी गई। वे तलाश कर व कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे। आयुक्त नियमानुसार आर्थिक सहायता/अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवाकर रिपोर्ट देंगे।
IV.	3/280/2018-Gen&UP/177/2018-APCR श्री पलटूराम	प्रकरण ट्रेन दुर्घटना का था। अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 10.03.2019 को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण बंद किया जाता है।
V.	UP/68/2018-APCR श्री जितेन्द्र कुमार	प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 30.10.2018 को प्रेषित कर दिया गया है। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के है। प्रकरण में पुलिस कार्यवाही पूर्ण है। प्रकरण बंद किया जाता है।
VI.	UP/166/2018-	प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दायर है, किन्तु प्रकरण IPC धारा 304A का

	APCR श्री शंभूनाथ एवं श्री संजय	बनता है। पुन: विवेचना करवाकर सुसंगत धारा लगाई जाये तथा workmen compensation हेतु लेबर न्यायालय में वाद दायर करवाने में आयुक्त सहायता करवायेंगे।
VII.	UP/167/2018-APCR श्रीमती सुशीला देवी	प्रकरण में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है व ₹6.18 लाख आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। आयुक्त नियमानुसार अतिरिक्त सहायता पेंशन, घर, बच्चों की पढ़ाई आदि स्वीकृत करवाकर रिपोर्ट देंगे।
VIII.	UP/174/2018-APCR श्री निलेश	प्रकरण दुर्घटना (गाड़ी की छत से गिरने) का है। अंतिम रिपोर्ट दायर है। प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. 3/318/2018-Gen व अन्य फाईल

सुनवाई तिथि 11.07.2019 का कार्यवृत्त

सुनवाई के दौरान निम्न उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल गर्ग, आयुक्त लखनऊ मण्डल,
2. श्री एस.के. भगत पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन,
3. डॉ. कृष्ण गोपाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा विभाग,
4. कुवर ज्ञानंजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्वी हरदोई व अन्य क्षेत्राधिकारी सुनवाई में उपस्थित थे। उनके अनुरोध पत्र दिनांक 12.07.2019 को तय प्रकरणों की सुनवाई भी 11.07.2019 को की गई। 12.07.2019 की सुनवाई के प्रार्थियों को भी सूचित कर अधिकारी साथ लाए थे।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पुलिस/आयुक्त द्वारा अब तक की कार्यवाही की प्रकरणवार रिपोर्ट पूर्ण करके आयुक्त, लखनउ, तथा आईजी, लखनऊ एक माह में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण संख्या 4 व 8 पर CB/CID अपनी रिपोर्ट **प्रस्तुत करेंगे**। प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

1.	3/318/2018-Gen किरण भार्गव, लखनऊ	प्रार्थिनी किरण भार्गव उपस्थित थी। प्रार्थिनी ने सूचित किया कि इनके प्रकरण आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा आर्थिक सहायता ₹90,000 प्राप्त हो गई है। प्रकरण बंद किया जाता है।
2.	UP/54/2018-APCR श्री कैलाश धीमान, लखनऊ	प्रार्थी श्री कैलाश धीमान उपस्थित थे। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। आर्थिक सहायता के रूप में ₹4,12,500 की सहायता प्रदान की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक** इस प्रकरण की पुनर्विवेचना किसी अन्य जनपद की वरिष्ठ अधिकारी से करवाकर व सभी कार्य पूर्ण कराकर आख्या 1 माह के अंदर आयोग को प्रेषित की जाए।
3.	UP/700/2018-APCR श्री रणधीर, लखनऊ	श्री रणधीर प्रार्थी उपस्थित थे। इस प्रकरण में मृतक के आश्रित को ₹4,12,500 की आर्थिक सहायता दिनांक 01.07.2019 को प्रदान कर दी गई है। मृतक का विसरा जाँच हेतु राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ ऐशबाग लखनऊ को दिनांक 22.06.2019 को भेजा गया है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक** विसरा रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्राप्त कर विवेचना पूर्ण करवाकर आख्या 1 माह के अंदर आयोग को प्रेषित करेंगे।
4.	UP/711/2018-APCR श्री बजरंग रावत, लखनऊ	श्री बजरंग रावत, प्रार्थी उपस्थित थे। इस प्रकरण की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2016 से की जा रही है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस अधीक्षक** अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश प्रकरण की विवेचना 2 माह के अंदर पूर्ण कर आयोग को सूचित करेंगे।
5.	UP/592/2018-	मृतक की लाश रेलवे लाईन पर मिली। फोटो से यह रेल दुर्घटना प्रतीत नहीं

	APCR श्री शिवबरन, रायबरेली	होती, क्योंकि मात्र एक चोट सिर पर थी। यद्यपि यह प्रकरण अनुसूचित जाति बनाम अनुसूचित जाति का है, लेकिन आयोग **पुलिस महानिरीक्षक** को यह निर्देशित किया कि प्रकरण की पुर्निविवेचना क्षेत्राधिकारी, डलमऊ रायबरेली द्वारा तत्काल ग्रहण कर 2 माह के अंदर आयोग को सूचित करें। साथ ही साथ घटना के पूर्व विवेचक की भूमिका की भी जाँच वरिष्ठ अधिकारी से करवाएँगे।
6.	14/1(2)/2018-आरयू रंजना देवी, हरदोई	प्रार्थिनी रंजना देवी उपस्थित थी। प्रार्थिनी को □6,18,750 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। अभियुक्त जेल में है तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त (प्रशासन) :** नियमानुसार अतिरिक्त सहायता 1 माह में उपलब्ध करवायेंगे।
7.	3/881/2018-Gen घासी राम, हरदोई	अभ्यावेदन कर्त्ता श्री घासी राम उपस्थित थे। उनकी पुत्री का अपहरण दिनांक 11.08.2018 को हो गया था जो अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। लगभग 1 वर्ष तक नाबालिग बालिका को पुलिस ढूढ़ नहीं पायी है जो खेदजनक है। वर्तमान में इस प्रकरण की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी हरदोई द्वारा की जा रही है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस** बालिका को ढूंढ कर अपहरणकर्त्ता को गिरफ्तार कर विवेचना 2 माह में पूर्ण कर आयोग को प्रेषित करेंगे।
8.	UP/342/2018-APCR श्रीमती राम खुशी कठेरिया, हरदोई	प्रार्थिनी के पुत्र की मृत्यु दिनांक 17.04.2018 को दुर्घटना में हो गई थी। प्रार्थिनी द्वारा दुर्घटना पर संदेह व्यक्त किया गया तथा उनके द्वारा मृतक की फोटो एवं चिकित्सा से संबंधित कागज उपलब्ध कराए गए जिसमें विरोधाभाष है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस** :संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जाँच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रहण कर आख्या आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
9.	14/1(2)/2018-आरयू कुलदीप, लखीमपुर खीरी	प्रार्थी श्री कुलदीप उपस्थित थे। इस घटना में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस द्वारा आरोप पत्र आत्म हत्या की धाराओं के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त जेल में है। शासन द्वारा □4,12,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा प्रार्थी को पैसा वापस करने की नोटिस जारी कर उसके खाते पर रोक भी लगा दी गई। आयोग पुलिस की विवेचना से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि घटना हत्या की प्रतीत होती है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण की पुर्निविवेचना 1 माह में पूर्ण करने के साथ-साथ पूर्व विवेचना अधिकारी की भूमिका की जाँच भी की जाए।

		आयुक्त : पैसे वापसी की नोटिस एवं खाते में रोक को तत्काल वापस किया जाए तथा प्रार्थी के परिवार का आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन तथा उसके बच्चों को छात्रवृत्ति व्यवस्था तत्काल करवाई जाए।
10	UP/191/2018-APCR योगेन्द्र कुमार, लखनऊ	प्रार्थी श्री योगेन्द्र कुमार सुनवाई में उपस्थित थे। प्रार्थी के पुत्र की हत्या दिनांक 21.09.2017 को हुई तथा इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.08.2018 को थाना आशियाना लखनऊ में पंजीकृत की गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विसरा परीक्षण रिपोर्ट में एथाइल एल्कोहॉल विष का होना पाया गया। इस आधार इस प्रकरण में दिनांक 03.07.2019 को धारा 302 भा.द.वि. के साथ 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी कैंट लखनऊ द्वारा की जा रही है। प्रार्थी को ₹4,12,500 की आर्थिक सहायता प्राप्त हो गई है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण की विवेचना 2 माह के अंदर पूर्ण की जाए। तत्पश्चात् **आयुक्त** नियमानुसार अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवायेंगे।
11	UP/667/2018-APCR फूला देवी, सीतापुर	प्रार्थी की नाबालिग पुत्री की मृत्यु दिनांक 18.05.2018 को हुई थी, परन्तु उसकी FIR धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय से आदेश के बाद दिनांक 26.09.2018 को की गई। परिजनों को दिनांक 30.06.2019 को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्तमान में इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी सिढ़ौली सीतापुर द्वारा की जा रही है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण की विवेचना 1 माह में पूर्ण करने के साथ-साथ थानाध्यक्ष द्वारा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने की जाँच कर आयोग को सूचित किया जाए। **आयुक्त :** नियमानुसार आर्थिक सहायता अतिरिक्त स्वीकृत करवायेंगे।
12	14/1(2)/2019-आरयू माधवी गौतम, सीतापुर	इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.02.2019 को थाना अटरिया सीतापुर में धारा 376/506 भादवि व 3(2)V अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत की गई। यह प्रकरण विवेचना में सामूहिक बलात्कार का निकला जिसके बाद आरोप पत्र धारा 376डी/506/120बी भादवि व 3(2)V अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रेषित किया गया। दोनों अभियुक्त वर्तमान में जेल में है। इसमें पीड़िता को अब तक ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त :** कुल देय धनराशि 6.18 लाख पीड़िता को तत्काल प्रदान की जाए।
13	14/1(1)/2018-आरयू ओमप्रकाश, सीतापुर	प्रार्थी को ट्रैक्टर दिनांक 20.01.2018 को लोन देने वाली कंपनी द्वारा जबरदस्ती ले लिया गया तथा उसी दौरान ट्रेक्टर से दबकर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायाल में प्रेषित किया जा चुका है। मृतक के परिजनों को ₹8,25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान दिनांक 04.07.2018 व 11.07.2019 को की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :**

		पुलिस महानिरीक्षक : दोषियों के विरूद्ध NBFC के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाए। **आयुक्त (प्रशासन) :** मृतक के परिजनों को अतिरिक्त सहायता पेंशन इत्यादि की स्वीकृत करवाई जाएगी।
14	UP/607/2018-APCR बिन्दा प्रसाद, उन्नाव	प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र की हत्या के संबंध में न्यायालय के द्वारा धारा 156(3) दं.प्र.संह. के अंतर्गत थाना बिघापुर उन्नाव में पंजीकृत करवाया गया। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 01.06.2019 को न्यायालय में प्रेषित की गई। क्षेत्राधिकारी बिघापुर, उन्नाव द्वारा अंतिम रिपोर्ट को रोककर अग्रिम विवेचना की जा रही है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण की गहन विवेचना पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में 1 माह के अंदर पूर्ण करवाई जाए। **आयुक्त :** प्रकरण सजातीय होने के कारण आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। अत: रानी लक्ष्मीबाई योजना के अधीन आर्थिक सहायता की संस्तुति की जाती है।
15	UP/461/2018-APCR श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री बाबूलाल, उन्नाव	प्रार्थिनी श्रीमती **विमला** देवी उपस्थित थी। प्रकरण का घटना स्थल थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर होने के कारण इसे वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर 1 माह में पूर्ण कर अयोग को सूचित किया करेंगे। **इस कार्यवृत्त की प्रति पुलिस महानिरीक्षक, कानुपर व आयुक्त कानुपर को आवश्यक कार्यवाही करके सूचित करेंगे।**
16	3/1090/2018-Gen श्रीमती मिलन, उन्नाव	पीड़िता ने धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत बयान में घटना से इंकार किया। प्रार्थिनी को □2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/581/2018-APCR- व अन्य फाईल

व

फाईल नं. UP/198/2018-APCR- व अन्य फाईल

सुनवाई तिथि 15.07.2019 का कार्यवृत्त

सुनवाई के दौरान निम्न उपस्थित थे :-

1. सुश्री अनीता मेश्राम, आयुक्त मेरठ डिवीजन
2. श्री प्रशांत कुमार, एडीजी मेरठ जोन
3. श्री आलोक सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ रेंज,
4. श्री अशोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध, गौतमबुद्ध नगर
5. श्री दिवाकर सिंह, एडीएम प्रशासन, गौतमबुद्ध नगर
6. श्री राजपाल सिंह, एसडीएम, बागपत एवं अन्य प्रशासन और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। दिनांक 10.07.2019 को तय प्रकरणों की सुनवाई के लिए नियत तिथि पर आयुक्त और अपर पुलिस महानिदेशक के उपस्थित न होने के कारण उसकी सुनवाई भी दिनांक 15.07.2019 को निर्धारित सुनवाई के साथ की गई।

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित अपेक्षित कार्यवाही पुलिस/आयुक्त द्वारा कार्यवाही की प्रकरणवार रिपोर्ट पूर्ण करके आयुक्त, मेरठ, तथा आईजी, मेरठ **एक माह** में tabular form में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

दिनांक 10.07.2019 के प्रकरण :

1.	UP/581/2018-APCR श्रीमती परमिता, बागपत	प्रार्थिनी श्रीमती परमिता उपस्थित थी। उनके अनुसार उनके 14 वर्षीय पुत्र की हत्या दिनांक 11.01.2018 को हुई थी जिसमें उसी दिन थाना रमाला में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 394, 302 भा.द.वि. में पंजीकृत कर पुलिस द्वारा विवेचना के बाद 3 अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 10.04.2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त गैर-अनुसूचित जाति के थे, परन्तु उनके विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी नहीं मिली। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस उप महानिदेशक :** इस प्रकरण की पुनर्विवेचना करवाकर धारा 3(2)v की supplementary chargesheet लगवाने का व सभी कार्य पूर्ण करवाकर आख्या 1 माह में आयोग को प्रेषित करेंगे। **आयुक्त** प्रार्थिनी को विधवा पेंशन तथा supplementary chargesheet के उपरांत नियमानुसार आर्थिक सहायता तथा अतिरिक्त सहायता परिवार को स्वीकृत करवायेंगी। प्रकरण गंभीर है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे विधवा है, अत: रानी लक्ष्मीबाई कोष से भी राहत प्राप्त करवाने पर आवश्यक कार्यवाही करवायेगी।
2.	UP/187/2018-	प्रार्थिनी श्रीमती कृष्णा के पति की हत्या दिल्ली में की गई थी इस संबंध में

	APCR	थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में मुकदमा अपराध संख्या 352/2017 धारा 302 भा.द.वि. में पंजीकृत किया गया है। **अपेक्षित कार्यवाही :** इस प्रकरण की सुनवाई आयोग द्वारा दिल्ली के लिए निर्धारित तिथि 19.07.2019 एवं 22.07.2019 को आयोग मुख्यालय में की जाएगी।
3.	UP/90/2018-APCR श्री विजेन्द्र, बागपत	श्री गोपीचन्द्र, प्रार्थी उपस्थित थे। उनके पुत्र की हत्या के संबंध में थाना चाँदी नगर में मुकदमा अपराध संख्या 256/2017 धारा 364/506 भा.द.वि. में दिनांक 30.11.2017 पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत 2 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दिनांक 28.01.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। आर्थिक सहायता के रूप में ₹1.5 लाख की सहायता प्रदान की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** इस प्रकरण में नियमानुसार अवशेष आर्थिक सहायता धनराशि के साथ-साथ अतिरिक्त सहायता प्रदान कर आयोग को सूचित करेंगी।
4.	UP/451/2018-APCR श्री धनपाल, बागपत	प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे। उन्होंने सूचित किया कि थाना सिंघावली अहीर में उनके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 137/2018 सात व्यक्तियों के विरूद्ध अपने 2 पुत्रों के साथ मारपीट के संबंध में पंजीकृत करवाया गया था। इलाज के दौरान एक पुत्र की मृत्यु दिनांक 07.05.2018 को हो गई। विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 03.07.2018 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ₹8.25 लाख व ₹75,000 दिए जा चुके हैं। इनके द्वारा विपक्षियों से ₹28 लाख लेकर फैसला कर लिया जिससे कि सारे अभियुक्त न्यायालय से बरी हो गए। प्रकरण बंद किया जाता है।
5.	UP/439/2018-APCR श्री राधेश्याम, बागपत	प्रार्थी श्री राधेश्याम उपस्थित थे। उन्होंने यह सूचित किया कि दिनांक 01.06.2018 को उनके पुत्र की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका पुत्र दिल्ली मेट्रो में सफाईकर्मी के रूप में कार्य करता था। उसकी मोटरसाईकिल खेकड़ा रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग से चोरी हो गई थी जिसका हर्जाना पार्किंग ठेकेदार कपिल द्वारा नहीं दिया जा रहा था। **अपेक्षित कार्यवाही** **अपर पुलिस महानिदेशक** इस प्रकरण में ठेकेदार कपिल की भूमिका की जाँच कर आख्या 1 माह में आयोग को सूचित करेंगे।
6.	UP/366/2018-APCR श्री पीतम सिंह, बागपत	प्रार्थी का पुत्र दिनांक 11.04.2018 को थाना बड़ौत में पंजीकृत अपराध संख्या 46/2018 में नामजद था जिसके बचाव के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण बंद किया जाता है।
7.	UP/488/2018-APCR श्री दीपक, बागपत	प्रार्थी सपरिवार उपस्थित थे। उनके भाई की हत्या के संबंध में दिनांक 29.07.2017 थाना रमाला पर मुकदमा अपराध सं. 192/2017 धारा 394, 302 भा.द.वि. में पंजीकृत करवाया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.12.2017 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अवगत कराया कि उसके द्वारा नामजद अभियुक्त विकास तोमर और ऋषिपाल को विवेचना के दौरान बरी कर

		दिया गया। जबकि यदि अनजान द्वारा लूट/चोरी की घटना होती तो मृतक का मोबाईल, उसकी नई मोटरसाईकिल भी लुटेरे/बदमाश साथ ले जाते। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिदेशक** इसकी पुनर्विवेचना कर आख्या आयोग को प्रेषित करेंगे व उपयुक्त धारायें प्रकरण में लगवायेंगे। **आयुक्त** : प्रकरण में रानी लक्ष्मीबाई कोष से परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत करवायेंगी।
8.	UP/370/2018-APCR बुलन्दशहर	प्रार्थी श्री राजू पुत्र कोतवाली देहात बुलन्दशहर ने आयोग को लिखित में सूचित किया कि इसमें लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा लिखवा दिया था, अब वह कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। प्रकरण बंद किया जाता है।
9.	UP/83/2018-APCR श्री मुकेश, बुलन्दशहर	प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे। प्रार्थी और विपक्षी दोनों गैर-अनुसूचित जाति (राजपूत) के हैं। प्रकरण बंद किया जाता है।
10	UP/125/2018-APCR भगवान देई, बुलन्दशहर	प्रार्थिनी उपस्थित थीं व उन्होंने सूचित किया कि उनकी पुत्र ने दिनांक 13.03.2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इनके आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2017 के आधार पर इस प्रकरण में थाना अहीर पर मुकदमा अपराध संख्या 124/17 धारा 302 भा.द.वि; व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 लोगों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिनी के बयान धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत दिनांक 23.11.2017 को अंकित कराई गई। इस बयान में उनके द्वारा घटना से इंकार किया गया। लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम ने भी आत्महत्या की पुष्टि की। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिदेशक** पूर्व में नामजद अभियुक्तों की भूमिका की पुनर्विवेचना 15 दिनों में करवाकर आयोग को सूचित करेंगे। **आयुक्त :** प्रार्थिनी की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, वे विधवा है व उनके दूसरे पुत्र ने भी आत्महत्या कर ली है। अत: उनको विधवा पेंशन व अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता दिलवाने की कार्यवाही करेंगी।
11	UP/590/2018-APCR श्रीमती नीलम, बुलन्दशहर	प्रार्थिनी आयोग में उपस्थित थी। उनके द्वारा दिनांक 03.09.2018 को थाना खुर्जा नगर में मुकदमा अपराध सं. 1014/2018 धारा 376(d), 342, 147, 504, 506 भा.द.वि. व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया। दिनांक 17.09.2018 को पीड़िता ने माननीय न्यायालय में धारा 164 द.प्र.स. के बयान में घटना से इंकार किया। प्रकरण बंद किया जाता है।
12	14/1(2)/2018-RU बुलन्दशहर	इस प्रकरण के संबंध में दिनांक 21.01.2018 को थाना शिकारपुर पर मु.अ.सं. 15/18 धारा 376(d), 506 भा.द.वि. व धारा 4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं धारा 66 आई.टी

		एक्ट के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई कर दिनांक 10.03.2018 को अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसमें विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी पी.ए. एक्ट, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 17.05.2019 को निर्णय देते हुए दोषियों को 20 वर्ष की सजा का निर्णय दिया गया व इसमें प्रार्थी को ₹2,06,256 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** प्रार्थी को शासनादेशों के अंतर्गत ₹ 8.25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान कर आयोग को सूचित करेंगी। **अपर पुलिस महानिदेशक** प्रकरण की विवेचना करने वाले क्षेत्राधिकारी श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्रा ने सराहनीय कार्य किया है। अत: उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।
13	14/1(2)/2017-RU बुलन्दशहर	वादी श्री राजेश कुमार ने दिनांक 18.12.2017 को थाना अहार पर मु.अ.सं. 210/17 धारा 363, 366, 376 (d) भा.द.वि 4 पॉक्सो व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत कराया गया। पीड़िता ने धारा 164 द.प्र.स. के अंतर्गत अपने बयान में अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाना बताया गया। लड़की नाबालिग है। विवेचना के उपरांत अभियुक्त हसन के विरूद्ध धारा 363, 366 भा.द.वि. व 8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त जेल में बंद है। ₹25,000/- की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रकरण बंद किया जाता है।
दिनांक 15.07.2019 के प्रकरण		
14	UP/198/2018-APCR श्री महेश, गौतमबुद्ध नगर	प्रार्थी श्री महेश उपस्थित थे। शिवानी को 26.11.2017 को उसके मालिक के घर में फांसी से लटका पाया गया था। मालिक उसको अस्पताल ले गये, किन्तु पुलिस को बाद में सूचित किया। पुलिस के अनुसार उसने आत्महत्या की थी, किन्तु उपस्थित अधिकारी आयोग के प्रश्नों जैसे कि प्रकरण में पड़ोसी द्वारा कैसे व क्यों बालिका के आत्महत्या की सूचना दी गई इत्यादि का उत्तर नहीं दे पाये। (FIR 302, 3(2)v अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज है व पोस्मॉर्टम दिनांक 27.11.2017 को कराया गया था) प्रकरण में FIR दिनांक 31.12.2017 को लगी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **पुलिस :** प्रकरण की पूर्ण जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। **आयुक्त :** FIR में धारा 3(2)v लगी है, अत: नियमानुसार आर्थिक सहायता की प्रथम किस्त ₹4.125 लाख पोस्टमॉर्टम दिनांक 27.11.2017 के 7 दिन के अंदर देय थी पर नहीं स्वीकृत की गई है। उपरोक्त धनराशि स्वीकृत करवायेंगी।
15	UP/112/2018-APCR श्री निहाल, गौतमबुद्ध नगर	प्रार्थी श्री ओमप्रकाश उपस्थित थे। उन्होंने अपने सगे भाइयों व अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया। विवेचना के उपरांत 4 दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। चर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी गैर-अनुसूचित (प्रजापति) का है।

		प्रकरण बंद किया जाता है।
16	UP/491/2018-APCR श्रीमती कविता व श्री राजेन्द्र, गौतमबुद्ध नगर	प्रार्थीगण उपस्थित थे। इस केस से संबंधित 2 और प्रकरण UP/449/2019-APCR व UP/726/2018-APCR भी आयोग में चल रहे हैं जो मृतक अमित की बहन द्वारा है। चर्चा के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने अवगत कराया कि इस प्रकरण की पुनर्विवेचना क्षेत्राधिकारी अपराध जनपद बुलंदशहर द्वारा दिनांक 20.05.2019 से की जा रही है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिदेशक** प्रकरण की विवेचना एक माह में पूर्ण कर आयोग को सूचित करेंगे। विवेचनाधिकारी द्वारा मृतक की बहन कविता व अन्य नामित नीलम व बृजेश के भी बयान लिए जाएँगे।
17	UP/530/2018-APCR (i) श्रीमती पूजा, गौतमबुद्ध नगर	प्रार्थिनी उपस्थित थी। उन्होंने इस प्रकरण के संबंध थाना सेक्टर 49 नोएडा 1139/2018 धारा 376, 506 भा.द.वि. व 3(1)ई व 3(3)Va अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत कराया गया। आरोपी गिरफ्तार है, विवेचना के उपरांत आरोप पत्र दिनांक 27.07.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया, क्योंकि प्रार्थिनी छत्तरपुर, मध्यप्रदेश क रहने वाली है इसलिए जिला प्रशासन आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव छत्तरपुर मध्यप्रदेश भेजा गया है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** नियमानुसार घटनास्थल गौतमबुद्ध नगर होने के कारण पीड़िता को आर्थिक सहायता गौतमबुद्ध नगर से ही देय है, अत: एक सप्ताह में आर्थिक सहायता प्रदान करवाने की कार्यवाही पूर्ण करवायेंगी।
18	UP/530/2018-APCR (ii) सलोनी, गौतमबुद्ध नगर	पुलिस प्रशासन ने आयोग को सूचित किया कि यह प्रकरण गैर-अनुसूचित जाति से संबंधित है। इस प्रकरण में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उसके विरूद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** प्रार्थी की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको रानी लक्ष्मी बाई निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त संस्तुति के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।
19	UP/353/2019-APCR श्री राजेश कुमार, गौतमबुद्ध नगर	प्रार्थी श्री राजेश कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनके भाई देवेन्द्र गौतम की हत्या दिनांक 10/11.04.2019 की रात को कर दी गई। उनका शव दिनांक 11.04.2019 को शाम 4 बजे मिला। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी दादरी द्वारा की जा रही है। एक नए अभियुक्त की पहचान हुई है। 5 अभियुक्त हैं। मृतक के परिजनों को □4,12,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिदेशक** विवेचना एक माह में पूर्ण कर आयोग को सूचित करेंगे। **आयुक्त** मृतक के परिजनों को अवशेष सहायता व अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की जाये। आयुष्मान योजना सूची में पत्नी व परिवार का नाम शामिल करवाया जायेगा।

20	UP/588/2018-APCR श्री शेखर, गाजियाबाद	प्रार्थी शेखर व धर्मेन्द्र उपस्थित थे। उन्होंने सूचित किया कि प्रार्थी के पुत्र श्री चतर सिंह की हत्या दिनांक 28.02.2018 को कर दी गई थी। इस संबंध में दिनांक 28.02.2018 को थाना मसूरी पर पंजीकृत की गई। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है, 3 में से 2 गिरफ्तार है। पीड़ित परिवार को □8.25 लाख की सहायता प्रदान की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिदेशक** विवेचना एक माह में पूर्ण कर आयोग को सूचित करेंगे। **आयुक्त** मृतक के परिजनों को नियमानुसार अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करवायेंगी।
21	UP/5/2018-APCR गाजियाबाद	प्रार्थी द्वारा वर्ष 2011 में गुरूग्राम हरियाणा के प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर में एक फ्लैट 24 लाख रूपए में बुक किया था। प्रार्थी और ब्रोकर के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद था। जिसमें अब समझौता हो गया है। प्रकरण बंद किया जाता है।
22	UP/104/2018-APCR श्री सुरूजन सिंह, गाजियाबाद	प्रार्थी ने अपने पुत्र बिरजू उर्फ ब्रजेश की हत्या के संबंध दिनांक 03.07.2017 को थाना भोजपुर में मुकदमा अपराध संख्या 274/17 धारा 302, 394 भादवि में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य प्रकाश में आए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 20.05.2018 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करवाकर आर्थिक सहायता □8.25 लाख एवं अतिरिक्त सहायता तत्काल स्वीकृत करवाकर आयोग को सूचित करेंगी।
23	UP/162/2018-APCR श्री अत्तर सिंह, गाजियाबाद	प्रार्थी उपस्थिति थे। प्रार्थी ने आयोग को सूचित किया कि उसके पुत्र सुनील की मृत्यु दिनांक 30.01.2018 को ट्रैक्टर से दबकर हो गई। ट्रैक्टर चालक रौनक को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.06.2018 को प्रेषित किया जा चुका है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **आयुक्त** मृतक के परिजनों motor vehicle claims tribunal से क्षतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान हेतु प्रयास किये जाये, पीड़िता को विधवा पेंशन व रानी लक्ष्मीबाई कोष से मृतक विधवा व बच्चों को आर्थिक सहायता दिलवाई जाये।

24	UP/453/2019-APCR व UP/454/2019-APCR कुमारी योगिता व श्रीमती गीता, गाजियाबाद	प्रार्थिनी कुमारी योगिता एवं उनकी माँ श्रीमती गीता देवी आयोग में उपस्थित हुए। दोनों ही प्रकरणों में विपक्षियों द्वारा माँ व बालिग पुत्री के बलात्कार का आरोप है। दोनों की ही प्रकरणों की विवेचना क्षेत्राधिकारी मोदीनगर द्वारा की जा रही है। FIR नं. 571/19 दर्ज है जिसमें 376/354/3(2)v व नाबालिग के संबंध में पॉक्सो की धारा भी लगाई है। प्रार्थिनी ने सूचित किया कि आरोपी प्रदीप के भाई कुलदीप व प्रिंस उसको व उसकी पुत्री को जानमाल व बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। एसएचओ संजीव कुमार व चौकी इंचार्ज नरेश द्वारा पीड़िता को धमकाया/डराया गया था जो उसके 164 के बयान में दर्ज है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **अपर पुलिस महानिरीक्षक :** प्रकरण में आरोपी के दो भाइयों द्वारा उसको धमकाने की बात का संज्ञान लेते हुए उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक व अन्य कार्यवाही करेंगे। जिससे गीता व परिवार की सुरक्षा हो सके। प्रार्थिनी को धमकाने व प्रकरण में FIR न करने, कार्यवाही न करने पर चौकी इंचार्ज व एसएचओ के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे व उनका स्थानांतरण अन्यत्र करेंगे। प्रकरण में विवेचनाधिकारी से शीघ्र जांच पूर्ण करवाकर उचित कार्यवाही करेंगे। **आयुक्त :** माँ व पुत्री की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव दिनांक 10.07.2019 को भेजा गया है स्वीकृत करवाकर भुगतान करवायेंगी। अतिरिक्त सहायता जैसे बालिका व उसकी बहन की पढ़ाई DUDA के द्वारा PMAY में गीता को आवास, गीता को पेंशन आदि स्वीकृत करवायेंगी। साथ ही पीड़ित बालिका की counselling की व्यवस्था करवायेंगी।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. UP/471/2019-APCR

सुनवाई तिथि 18.07.2019 का कार्यवृत्त

दिनांक 21.06.2019 को श्रीमती गायत्री, कोचिंग संचालक व उसके परिजनों पर मोहल्ला चौधराना थाना जास जनपद अमेठी में हुई मारपीट की घटना के प्रकरण पर सुनवाई हुई थी। प्रार्थिनी ने आयोग को पत्र में सूचित किया था कि पुलिस/प्रशासन द्वारा आधी अधूरी कार्यवाही की व आरोपियों को बचा रही है। घटना के वीडियो वायरल हुए थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा जनपद अमेठी के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को आयोग में दिनांक 18.07.2019 को 1.30 बजे उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.07.2019 को नोटिस भेजा गया। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई में उपस्थित न होना आयोग की अवज्ञा है, अत: उनके परिवेक्षक अधिकारी आयुक्त, अयोध्या मण्डल व पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र को अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होने व अपने साथ जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक को भी उपस्थित करवाने हेतु 'summons' भेजे जाये।

मुख्य सचिव, उ.प्र., तथा DGP, उ.प्र. को भी इस कार्यवृत्त की प्रति भेजते हुए जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही (लिखित परामर्श सहित) की अपेक्षा की जाती है। उपरोक्त पर कार्यवाही की रिपोर्ट DGP/मुख्य सचिव 10 दिन में प्रस्तुत की करेंगे।

अपूर्ण कार्रवाई और सूचना के साथ क्षेत्राधिकारी तिलोई (सीओ) अमेठी उपस्थित हुए। अभ्यावेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत घटना की फोटो तथा वीडियो सि.डी. को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकरण पर दिनांक 21.06.2019 को थाना जायस पर पंजीकृत मुकदमें करने में समुचित धाराओं का प्रयोग नहीं किया गया जिसके कारण आरोपी माननीय उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर सके। सीओ द्वारा वायरल वीडियो पर अनभिज्ञता व्यक्त की जबकि सीओ द्वारा स्वयं उस वीडियो पर सोशल मीडिया में byte देने का वीडियो उपलब्ध है। प्रार्थिनी ने अवगत कराया कि विपक्षियों द्वारा उसको, पति को एवं अन्य परिजनों को अब भी लगातार जान से मारने, बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा उसे प्रदान सुरक्षाकर्मी सायं 5 बजे वापस चले जाते हैं, अत: उनके साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। वर्तमान में वे घर छोड़कर अन्यत्र रहने पर मजबूर है।

घटना के वीडियो की सीडी, फोटो (जिनमें आरोपियों के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं) व प्रार्थिनी का आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सीओ को आज सुनवाई में प्राप्त कराये गये।

घटना की गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण जानकारी एवं घटना के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की सूचना के साथ आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, आयोध्या मण्डल को दिनांक 23.07.2019 को जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक सहित आयोग में सुनवाई में उपस्थित होंगे। प्रार्थिनी व परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीओ (तिलोई) व पुलिस अधीक्षक की है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

फाईल नं. Delhi/280/2018-APCR - व अन्य फाईल

सुनवाई तिथि 19.07.2019 का कार्यवृत्त

सुनवाई के दौरान निम्न उपस्थित थे :-

1. श्री राजीव यदुवंशी, प्रमुख सचिव, एससी/एसटी/ओबीसी
2. श्री आनन्द मोहन, ज्वाइंट सीपी
3. श्री शशि कौशल, डीएम(सी)
4. श्री कुलदीप पाकड, डीएम, शाहदरा
5. श्री शलेश कुमार, एसडीएम, वसंत विहार
6. श्री आमोद बठवाल, एसडीएम, ईस्ट
7. श्री देवेन्द्र आर्या, डीसीपी, साऊथ-वेस्ट
8. श्री मेघना, डीसीपी
9. श्री नुपूर प्रसाद डीसीपी, नार्थ
10. श्री अतुल कुमार ठाकुर, डीसीपी, नार्थ-ईस्ट
11. श्री जसमीत सिंह, डीसीपी ईस्ट
12. श्री एस.डी.
13. मिश्रा, डीसीपी, रोहिणी
14. श्रीमती मेघना यादव, डीसीपी, शाहदरा
15. श्री महेन्द्र पाल, उप निदेशक, एससी/एसटी/ओबीसी/वेलफेयर डिपार्टमेंट
16. श्री सतीश केन, एसीपी वसंत विहार
17. श्री राम सिंह, एसीपी, एस.पुरी
18. श्री अनुज कुमार, एसीपी, नार्थ-ईस्ट
19. श्री विपिन कुमार, एसीपी, बवाना
20. श्री सौरभ चन्द्रा, एसीपी, मौर्य विहार
21. श्री विक्रम एच.एम मीणा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आउटर नार्थ

सभी प्रकरणों में विस्तार से चर्चा की गई और यह तय हुआ कि अंकित प्रकरणवार अपेक्षित कार्यवाही की प्रकरणवार रिपोर्ट पूर्ण करके संबंधित Jt. CP व Principal Secretary tabular form में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

प्रकरणों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही निम्न है:

New Delhi Range		
1.	Delhi/280/2018-APCR	प्रकरण में पीड़िता की माता उपस्थित हुई थी। पुलिस ने सूचित किया कि प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दिनांक 05.02.2019 को दायर कर दिया गया है। पीड़िता को ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **प्रमुख सचिव :** नियमानुसार पीड़िता को शेष आर्थिक सहायता प्रदान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आरोपी सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिकी एवं सचूना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत है अत: विभाग द्वारा आरोपी के विरूद्ध कृत विभागीय

		कार्यवाही की सचूना अपेक्षित है। इस कार्यवृत्त की प्रतिलिपि विभाग को भी भेजी जाए व एक महीने में कृत कार्रवाई की सूचना प्रस्तुत करेंगे।
Northern Range		
2.	Delhi/213/2019-APCR	ज्वाइंट कमिश्नर को बुलाया गया था वे उपस्थित नहीं हुए। सूचना मिली थी कि उन्होंने सुनवाई हेतु डीसीपी को अधिकृत किया था, किन्तु वे भी उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण हत्या का है व मृतक के मित्र बैंगो व अजय द्वारा उसकी हत्या की गई थी। पाया गया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)v नहीं लगाई गई है, जबकि आरोपी मृतक को जानते थे व तथाकथित लड़ाई-झगड़े के बाद ही उसकी हत्या की गई है। अत: संबंधित उच्च अधिकारी प्रकरण की समीक्षा करेंगे व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की उचित धाराएँ भी प्रकरण में लगाएँगे। एक महीने में विवेचना पूर्ण कर लेंगे। अगली सुनवाई में ज्वाइंट सीपी तथा डीसीपी को summons किया जाएँ। **अपेक्षित कार्यवाही :** **प्रमुख सचिव** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ लगने के बाद आवश्यक आर्थिक सहायता धनराशि स्वीकृत करेंगे।
3.	Delhi/385/2018-APCR व Delhi/404/2018-APCR	मृतक श्रीमती बबीता के पिता श्री श्यामबीर उपस्थित थे। उन्होंने सूचित किया कि उनकी बेटी का अन्तर्जातीय विवाह हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद उसके पति राजेश मान व ससुरालवालों ने उसके साथ मारपीट, लड़ाई-झगड़ा व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व मानसिक प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। इन सब से परेशान होकर बबीता ने फाँसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार FIR में 498(a) व 304(b) की धाराएँ लगी है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ नहीं लगाई गई है, क्योंकि गाली-गलौज सार्वजनिक रूप से होना नहीं पाया गया है। आयोग का मत है कि, क्योंकि अन्तर्जातीय विवाह है व पूर्व में मृतिका बबीता द्वारा जातिगत प्रताड़ना की शिकायत SHO व ACP को दी जा चुकी है। अत: प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ लगानी आवश्यक प्रतीत होती है। **अपेक्षित कार्यवाही :** वरिष्ठ अधिकारी उपरोक्त स्व. बबीता के SHO व ACP को दिए पत्रों की समीक्षा कर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ FIR में लगवाएँगे तथा विवेचना एक महीने में पूर्ण करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। **प्रमुख सचिव :** अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ लगने के बाद आवश्यक आर्थिक सहायता धनराशि स्वीकृत करेंगे।
4.	Delhi/244/2017-APCR	डीसीपी आएँ थे। डीसीपी ने सूचित किया कि प्रकरण में नीतू ने तीस हजारी कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ले ली है व न्यायालय ने प्रकरण डिशमिश कर दिया है।

		प्रकरण बंद किया जाता है।
5.	Delhi/79/2017-APCR श्रीमती शांति देवी	प्रकरण में चार्जशीट दिनांक 01.12.2017 को दर्ज की जा चुकी है व ट्रायल प्रारंभ हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार है। Subjudice प्रकरण बंद किया जाता है।
Eastern Range		
6.	Delhi/312/2018-APCR श्रीमती सरोज	प्रकरण में उचित धाराओं में चार्जशीट दर्ज की जा चुकी है। आरोपी भी अनुसूचित जाति का है अत: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएँ नहीं लगी है। Subjudice प्रकरण बंद किया जाता है।
7.	Delhi/361/2018-APCR श्रीमती सुमित्रा देवी	मृतक की माँ सुमित्रा देवी उपस्थित थी। प्रकरण में उचित धाराओं में चार्जशीट दिनांक 01.11.2018 को दायर की जा चुकी है व ₹8.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। **अपेक्षित कार्यवाही :** **प्रमुख सचिव :** अतिरिक्त सहायता जैसे कि पेंशन, विधवा को नौकरी, घर इत्यादि स्वीकृत करवाकर सूचित करेंगे। प्रमुख सचिव को दिल्ली में उपरोक्त अतिरिक्त सहायता हेतु आवश्यक GO निर्गत करने के निर्देश दिए गए तथा तमिलनाडु द्वारा इस संदर्भ में निर्गत GO की एक प्रति उनको आज दी गई। उपरोक्त GO ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार से भी GO निर्गत करने की अपेक्षा की जाती है जिससे अनुसूचित जाति के पीड़ितों को सभी देय सहायता मिलने में कठिनाइयाँ न हों।
8.	Delhi/206/2019-APCR	प्रकरण में पीड़िता व उसके परिवार ने 164 का बयान व counsellor को भी बयान देने से इंकार कर दिया है, अत: प्रकरण में FIR संभव नहीं है। प्रकरण बंद किया जाता है।
9.	UP/587/2016-APCR निशा सिंह	पीड़िता निशा सिंह उपस्थित थी। पुलिस के अनुसार प्रकरण में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। पीड़िता का कथन था कि जब उसके साथ बलात्कार हुआ था। उस समय वह नाबालिंग थी, अत: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व पॉक्सो दोनों की धाराओं में दर्ज होनी चाहिए। पीड़िता के 164 के बयान में यह दर्ज है कि आरोपी ने उससे अनुसूचित जाति की होने के कारण शादी करने से इंकार किया। **अपेक्षित कार्यवाही :** **डीसीपी** अपने स्तर से 164 का बयान पर संज्ञान लेते हुए तथा पीड़िता की घटना के समय उम्र को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व पॉक्सो एक्ट में उचित धाराएँ लगाकर पूरक चार्जशीट दायर करने पर विचार करेंगे। डीसीपी पीड़िता व उसके परिवार को बुलाकर अपने स्तर से भी उपरोक्त की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे व यथा आवश्यक supervision भी निर्देश देंगे। **प्रमुख सचिव** : यदि धारा लगाई जाती है तब नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करवाएँगे।
10	UP/187/2018-APCR	प्रकरण की details पुलिस सूचित नहीं कर पाये, अत: एक महीने का समय दिया जाता है। कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

	कृष्णा	
Central Range		
11	UP/582/2018-APCR	प्रकरण की details पुलिस सूचित नहीं कर पाये, अत: एक महीने का समय दिया जाता है। कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. 14/103/Har/2018-ESDW</u>

<u>सुनवाई तिथि 27.08.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री रविन्द्र यादव, एसडीएम रेवाड़ी, श्री दीपक कुमार, बीडी एवं पीओ, रेवाड़ी, श्री नीरेश कुमार, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी ने सूचित किया कि PWD विभाग द्वारा हरिजन चौपाल को तोड़ दिया गया तथा उसके पुराने घर को भी तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने सूचित कि जर्जर हो चुकी चौपाल को तोड़ दिया गया था व नया पंचायत घर अंबेडकर भवन 2 महीने के भीतर बना दिया जाएगा, उसके लिए धनराशि की स्वीकृति हो चुकी है। नए पंचायत घर को बनाने में प्रार्थी द्वारा व्यवधान पैदा किया जा रहा है।

ये तय हुआ कि नए बनने वाले पंचायत घर के एरिया व बाउंड्री को पुराने हरिजन चौपाल की भूमि भी शामिल कर ली जाए जिससे उसको एक Community Centre की तरह उपयोग किया जा सके।

प्रार्थी के घर की भूमि 1969 में अनुसूचित जाति को दी गई भूमि है व 1977-78 से प्रार्थी के दादा के नाम है। अत: घर को तोड़ा नहीं जाए, उसकी पैमाइश करा दी जाए और यदि आवंटित भूमि से अधिक पर उसका कब्जा पाया जाए तो उपरोक्त भूमि को निर्धारित circle rate पर प्रार्थी को आवंटित कर दिया जाए।

उपरोक्त संस्तुति के साथ प्रकरण बंद किया जाता है।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

<u>फाईल नं. Har/10/2019-APCR</u>

<u>सुनवाई तिथि 27.08.2019 का कार्यवृत्त</u>

श्री परमजीत सिंह, एसडीएम हिसार, श्री अशोक कुमार, डीएसपी, श्री सुन्दर सिंह, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रार्थी नू सूचित किया कि जनवरी 2015 में उसको पंचायत के दौरान पीटा गया तथा उस चोटों के कारण उसको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। उसके द्वारा मार्च 2015 में FIR भी दायर कर दी गई थी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। उस FIR के पश्चात् विपक्षी लोगों ने उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा (धारा 376) अगस्त 2017 में दर्ज कराया, किन्तु 164 के बयान में तथा एक Affidavit में भी संबंधित महिला ने स्वीकार किया कि वह फर्जी FIR थी। प्रार्थी ने यह भी सूचित किया कि पुलिस उसके विरूद्ध है तथा कुछ समय पूर्व में Police Verification करते समय उसके बेटे के विरूद्ध FIR दिखाई गई, जबकि उसके बेटे के विरूद्ध कोई FIR नहीं थी। पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने में इंस्पेक्टर विजेन्द्र तथा सिपाही रविन्द्र का नाम प्रार्थी ने लिया तथा यह भी सूचित किया कि उसके पास वीडियो सबूत भी है।

यह तय हुआ कि डीएसपी तथा एसडीएम मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी लेंगे व बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी केस पाया गया तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अगली तिथि पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग